डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. हिफर्जुरहमान पुत्र हबीबुल रहमान
2. अमीनुर्रहमान पुत्र हबीबुल रहमान
3. शकीकुर्रहमान पुत्र हबीबुल रहमान
4. जमीलुर्रहमान पुत्र हबीबुल रहमान
5. मोहम्मद शाहिद पुत्र हबीबुल रहमान
6. लतीबुल रहमान पुत्र अब्दुल अहमद
7. अजीजुल रहमान पुत्र मु. अब्दुल समी
   जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र भौरया जाति माली निवासी टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 74/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजिरी सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू रमेश चन्द सैनी एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 मिनकानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिकी दी जाती है

अतः वादी अजीजुलरहमान पुत्र अब्दुल शमी हिस्सा 1/2 लतीबुलरहमान पुत्र अब्दुल अहमद हिस्सा 1/4, हिफजुर्रहमान, अमीनुर्रहमान, शकीलुर्रहमान, जमीलुर्रहमान, मोहम्मद शाहिद पि0 हबीबुलरहमान हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान को टोडाभीम 11 बिस्वा स्थित आराजी ख0न0 2079/1 रकवा 0.02, 2080 रकवा 0.01, 2081/1 रकवा 0.07, 2083 रकवा 0.01, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी रामचरण पुत्र भौरया जाति माली को ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा स्थित आराजी ख0न0 2079 रकवा 0.03, 2081 रकवा 0.17, 2082 रकवा 0.13, 2085 रकवा 0.03 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अजीजुलरहमान पुत्र अब्दुल शमी हिस्सा 1/8, लतीबुलरहमान पुत्र अब्दुल अहमद हिस्सा 1/16, हिफजुर्रहमान, अमीनुर्रहमान, शकीलुर्रहमान, जमीलुर्रहमान, मोहम्मद शाहिद पि0 हबीबुलरहमान हिस्सा 1/16 जाति मुसलमान तथा रामचरण पुत्र भौरया हिस्सा 3/4, जाति माली आराजी ख0न0 2078 रकवा 0.01, 2084 रकवा 0.01 किस्म गै.मु. चाह सयुक्त खातेदारी मे रहेगे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहद अदालत के आज तारीख 22.10.2019 को जारी की गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 74 / 19 तारीख रजूः– 04.07.2019

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. हिफर्जुरहमान पुत्र हबीबुल रहमान
2. अमीनुर्रहमान पुत्र हबीबुल रहमान
3. शकीकुर्रहमान पुत्र हबीबुल रहमान
4. जमीलुर्रहमान पुत्र हबीबुल रहमान
5. मोहम्मद शाहिद पुत्र हबीबुल रहमान
6. लतीबुल रहमान पुत्र अब्दुल अहमद
7. अजीजुल रहमान पुत्र मु. अब्दुल समी
   जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र भौरया जाति माली निवासी टोडाभीम।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द एडवोकेट (वादीगण)
श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1)

निर्णय **दिनांकः– 22.10.2019**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा स्थित आराजी ख0न0 2078 / 0.01, 2079 / 0.05, 2080 / 0.01, 2081 / 0.24, 2082 / 0.13, 2083 / 0.01, 2084 / 0.01, 2085 / 0.03 कुल किता 8 कुल रकवा 0.49 है0 मे वादीगण बहिस्सा 1 / 4, तथा प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 3 / 4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ख0न0 2079 / 0.05, 2080 / 0.01, कुल 0.06 है0 भूमि पर कब्रिस्तान बने हुए है। बहामी बटवारा हो रहा है। किन्तु वादीगण और प्रतिवादीगण किन–किन नम्बरो पर काबिज है पता नही है।

प्रतिवादी न0 1 दिनांक 28.6.19 को अपने साथ कुछ व्यक्तियो को साथ लेकर आराजी को बेचान करने की फिराक मे आये। वादीगण ने विधिवत बटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने नाराज होकर बटवारा कराने से इन्कार किया। इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वावत तकास्मा पेश कर निवेदन है कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा स्थित आराजी ख0न0 2078 / 0.01, 2079 / 0.05, 2080 / 0.01, 2081 / 0.24, 2082 / 0.13, 2083 / 0.01, 2084 / 0.01, 2085 / 0.03 कुल किता 8 कुल रकवा 0.49 है0 मे हिस्से और कब्जेअनुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर अलग–अलग खातेदारी कायम कर डिक्री कायम फरमाई जावे तथा प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दावा दर्ज रजिस्टर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2 वावजूद सूचना उपस्थित नही आये, इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 जरिए वकालतन उपस्थित हुए।

वादी वकील ने कथन किया कि यह तकास्मा का दावा है वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। जबाब प्रस्तुत होने की आवश्यकता नही है। कब्जा और हिस्सानुसार दावा प्राथमिक डिक्री फरमाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। प्रतिवादी न0 1 के वकील ने भी जबाब प्रस्तुत नही कर वादी वकील के कथन से सहमति प्रकट की तथा दावा तकास्मा कराने हेतु प्राथमिक डिक्री कराने का कथन किया।

वकील उभयपक्ष की सहमति पर मनन कर व पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा के खाता स0 5 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 2078/0.01, 2079/0.05, 2080/0.01, 2081/0.24, 2082/0.13, 2083/0.01, 2084/0.01, 2085/0.03 कुल किता 8 कुल रकवा 0.49 है0 मे वादीगण बहिस्सा 1/4, तथा प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 3/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तकास्मा का दावा अनावश्यक लम्बा चलाना उचित नही होने एवं पक्षकारान के तकास्मा कराने हेतु सहमत होने से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को 500रू0 पर बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष का अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर एवं बटवारा स्कीम के अवलोकन से दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाने से डिक्री किया जाता है।

अतः वादी अजीजुलरहमान पुत्र अब्दुल शमी हिस्सा 1/2 लतीबुलरहमान पुत्र अब्दुल अहमद हिस्सा 1/4, हिफजुर्रहमान, अमीनुर्रहमान, शकीलुर्रहमान, जमीलुर्रहमान, मोहम्मद शाहिद पि0 हबीबुलरहमान हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान को टोडाभीम 11 बिस्वा स्थित आराजी ख0न0 2079/1 रकवा 0.02, 2080 रकवा 0.01, 2081/1 रकवा 0.07, 2083 रकवा 0.01, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी रामचरण पुत्र भौरया जाति माली को ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा स्थित आराजी ख0न0 2079 रकवा 0.03, 2081 रकवा 0.17, 2082 रकवा 0.13, 2085 रकवा 0.03 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अजीजुलरहमान पुत्र अब्दुल शमी हिस्सा 1/8, लतीबुलरहमान पुत्र अब्दुल अहमद हिस्सा 1/16, हिफजुर्रहमान, अमीनुर्रहमान, शकीलुर्रहमान, जमीलुर्रहमान, मोहम्मद शाहिद पि0 हबीबुलरहमान हिस्सा 1/16 जाति मुसलमान तथा रामचरण पुत्र भौरया हिस्सा 3/4, जाति माली आराजी ख0न0 2078 रकवा 0.01, 2084 रकवा 0.01 किस्म गै.मु. चाह सयुक्त खातेदारी मे रहेगे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली